

प्रेस नोट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर दिनांक 27.05.2025

मिलावटी पनीर बनाकर बेचने के आरोप में 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चोरी चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष पिपराइच के नेतृत्व में व0उ0नि0 अजीत कुमार चतुर्वेदी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 384/2025 धारा 274,275,280 बी0एन0एस0 व 59/63 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 से संबंधित अभियुक्त 1. मोहम्मद खालिद, 2. मोहम्मद सकील व 3. मुहम्मद वहीद को गिरफ्तारी किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा बड़े पैमाने पर मिलावटी पनीर तैयार कर उसका विक्रय करने के आरोप में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम,पता व आपराधिक इतिहास-

1.मोहम्मद खालिद अंसारी पुत्र शौकत अली अंसारी निवासी ग्राम बरईपुर थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

i.मु0अ0सं0 384/2025 धारा 274/275/280 बी0एन0एस0 व 59/63 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

ii.मु0अ0सं0 0092/2020 धारा 504/506 भादव थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

2. मोहम्मद सकील पुत्र स्व0 रमजान निवासी ग्राम नई थाना पुनहाना जनपद नूह राज्य हरियाणा

i.मु0अ0सं0 384/2025 धारा 274/275/280 बी0एन0एस0 व 59/63 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

3. मुहम्मद वहीद पुत्र स्व0 रमजान निवासी ग्राम नईगाँव थाना पुनहाना जनपद नूह राज्य हरियाणा

i.मु0अ0सं0 384/2025 धारा 274/275/280 बी0एन0एस0 व 59/63 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. व0उ0नि0 अजीत कुमार चतुर्वेदी थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 सचिन पाण्डेय थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
3. हे0कां0 शाहिद खां थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
4. कां0 पप्पू यादव थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर